

NO 5638  
15-12-16

रजिस्टर एडी

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल  
// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित के सीधी भरती, सीधी भरती, बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा (चतुर्थ श्रेणी) के पदों हेतु संयुक्त भरती परीक्षा 2015 के तारतम्य में व्यापम द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची के आधार पर, चयनित अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से म.प्र. आवास एवं पर्यावरण विभाग आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भरती तथा शर्तें नियम 1976 में उल्लेखित नियम 8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा का अस्थाई सदस्य मानकर स्थानापन्न रूप से चौकीदार के पद पर वेतनमान रूपये 4440-7440+1300/-ग्रेड पे (प्रारंभिक मूल वेतन रूपये 4750+1300/-ग्रेड पे) के न्यूनतम वेतन एवं शासन के नियमानुसार अन्य स्वीकृत देय भत्तों पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर (कॉलम क्रमांक 6) पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	नाम/ पिता का नाम	लिंग	चयन सूची वर्ग	गृह जिला	स्थान जहां पदस्थ किया गया है।
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	भूनेश्वरी अहिरवार पिता सुखलाल अहिरवार	महिला	अनुसूचित जाति/ निल/महिला	खुरई	नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, गुना
2.	राकेश कुमार शर्मा पिता प्रभु दयाल शर्मा	पुरुष	अनारक्षित/ भू.पू. सैनिक/ ओपन	ग्वालियर	नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, भिण्ड
3.	सुधीर सिंह राजपूत पिता श्री भीम सिंह राजपूत	पुरुष	अनारक्षित/ भू.पू. सैनिक/ ओपन	घोडाडोंगरी	नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, खण्डवा
4.	अजय कुमार शाक्य पिता श्री राम सिंह	पुरुष	अनुसूचित जाति/ विकलांग हाथ/ ओपन	कालीरस	नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, श्योपुर

1. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी"।
2. नियमित कर्मचारी को अच्छे चरित्र एवं उसके विरुद्ध ऐसा कोई अपराधिक प्रकरण जो उसे शासकीय सेवा के योग्य होने से बाधित करता हो, लंबित न होने के संबंध में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताये तत्काल नियुक्ति समाप्त कर देंगे। (संलग्न शपथ-पत्र का प्रारूप)
3. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजे जा सकेंगे।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

5. सेवा अवधि के दौरान उभय पक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों के कारण सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा। यदि वे ऐसा न करे तो ऐसी राशि भू-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेंगी।
6. नव नियुक्त अभ्यर्थीगण, म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13.4.2005 द्वारा मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे एवं इन पर म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू नहीं होंगे।
7. अभ्यर्थी को आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की समयसीमा में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पदस्थापना स्थान पर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
8. अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण उन्हें चयन प्रक्रिया में प्राप्तांको के आधार पर मैरिट क्रमानुसार किया जावेगा।
10. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति, विकलांगता संबंधी प्रमाण अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
11. संबंधित जिला कार्यालय, अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच से संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करावेंगे।
12. अभ्यर्थी, कार्यग्रहण करते समय संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी को शारीरिक/ मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि करा के प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण हेतु संबंधित जिला कार्यालय को भेजा जायेगा। यदि जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
14. यह प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र.लोक सेवा (अनु.जातियों, अनु.जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

  
 आयुक्त सह संचालक  
 नगर तथा ग्राम निवेश  
 म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक/ 5638 /स्था/नग्रानि/2016

भोपाल, दिनांक 15-12-16

प्रतिलिपि :-

1. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना को सूचनार्थ।
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ/खरगौन/भिण्ड को सूचनार्थ।
3. भूवनेश्वरी अहिरवार पिता सुखलाल अहिरवार ओ.10 खुशबू ठाकरे, वार्ड खुरई, खुरई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। पिन कोड नं.-470117
4. राकेश कुमार शर्मा पिता प्रभु दयाल शर्मा सी-7 शांति बाग कालोनी, पुरानी छावनी ग्वालियर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। पिन कोड नं.-474010
5. सुधीर सिंह राजपूत पिता श्री भीम सिंह राजपूत मकान नं. 140 वार्ड न. 36 गर्ग कॉलोनी बागदोना, पाथखेडा, घोडाडोंगरी। पिन कोड नं.-460449
6. अजय कुमार शाक्य पिता श्री राम सिंह अरोडा पोस्ट परसोटा कालीरस को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। पिन कोड नं.-476221
7. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
8. व्यक्तिगत नस्ती।
9. रोस्टर लिपिक।

  
15.12.16  
आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
भ.प्र.भोपाल